2017/00460

| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>श्री सुनील कुमार एडवोकेट पुत्र श्री पाबूराम विश्नोई निवासी ग्राम मोडायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर<br>: ब ना म :<br>लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत<br>किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 252/17<br>(अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.12.17 | **: निर्णय :**<br><br>1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई।<br><br>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 21.08.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। परन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारणं अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।<br><br>3. लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब दिनांक 23.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी, कोलायत से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन–पत्र निर्धारित समयावधि में उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रेषित करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया जाचुका है। उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 2299–2300 दिनांक 24.10.17 से सूचना प्रेषित करदी गई है कि रेकर्ड में उपलब्ध पत्रावलियां उपस्थित होकर अवलोकन कर सकते है। शेष सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण से सूचना की श्रेणी में नहीं आती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।<br><br>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी, कोलायत द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है, ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।।<br><br>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।<br><br>6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो<br><br>(अनिल गुप्ता)<br>प्रथम सूचना अपील अधिकारी<br>एवं जिला कलक्टर, बीकानेर | |

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official